## न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर ,टोंक

प्रकरण संख्या 49 / 2022

श्री सेतराम चौधरी एडवोकेट, जिला अदालत परिसर टोंक ——अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एंव नायब तहसीलदार बनेठा जिला टोंक ——प्रत्यर्थी

**अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005**

**निर्णय** **दिनांक 19.01.2023**

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत लोक सूचना अधिकारी एंव नायब तहसीलदार बनेठा को आवेदन पत्र दिनांक 16.07.2022 को प्रेषित/प्रस्तुत कर निम्न वर्णित सूचना चाही गईः—

भूमि आराजी खसरा नम्बर 1006 वाके ग्राम रूपपुरा तहसील उनियारा जिला टोंक राज0 में स्थित है। उक्त आराजी गैर खातेदारी में दर्ज थी, जिसकी खातेदारी लगभग सन 2010 के बाद दी गई, जिस नामान्तरण से उक्त खसरा नम्बर की गैर खातेदारी से खातेदारी दी गई, उस नामान्तरण की प्रति तथा उसके बाद उक्त खसरा नम्बर विभिन्न अंतरालों में 2 बार विक्रय हो चुका है तथा मूल खातेदार ने किसी मियां को विक्रय किया था, जिसके नामान्तरण की प्रति तथा मियां खातेदार ने वर्तमान खातेदार को विक्रय किया था, तो वर्तमान खातेदार के पक्ष में भरे गये नामान्तरण की प्रति प्रार्थी को उपलब्ध करवाई जाये, इस प्रकार खसरा नम्बर 1006 वाके ग्राम रूपपुरा के गैर खातेदारी से खातेदारी के नामान्तरण की प्रति प्रथम विक्रय पत्र के नामान्तरण की प्रति तथा द्वितीय विक्रय पत्र के नामान्तरण की प्रति प्रार्थी को उपलब्ध करवाई जावे ।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर अपील प्रा0पत्र की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव नायब तहसीलदार बनेठा को पत्र कमांक 1677 दिनांक 6.12.2022, 1708 दिनांक 15.12.2022, व 1737 दिनांक 27.12.2022 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलान्ट उपस्थित नही हुए। लोक सूचना अधिकारी एंव नायब तहसीलदार बनेठा द्वारा आज दिनांक तक कोई जवाब प्रेषित नही किया गया है, जिससे स्पष्ट है कि आवेदक को वांछित सूचना उपलब्ध नही करवाई गई। जबकि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में सूचना उपलब्ध कराने की अवधि 30 दिवस निर्धारित की हुई है। अतः अपीलार्थी उनके द्वारा आवेदित सूचना प्राप्त करने का अधिकारी है।

फलतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी एंव नायब तहसीलदार बनेठा को निर्देशित किया जाता है कि वह अपीलार्थी को उनके द्वारा आवेदित सूचना/सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दी जाने योग्य सूचना निर्णय की प्रति प्राप्ति से 20 दिवस में निःशुल्क उपलब्ध करावें। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव नायब तहसीलदार बनेठा तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

(चिन्मयी गोपाल)
प्रथम अपील अधिकारी
एंव जिला कलेक्टर टोंक
**जिला कलेक्टर**
**टोंक**

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान)